भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1930

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रणाली

1930. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के बेलगावी और अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में मानव जीवन और पशुओं के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एन.डी.आर.एफ. की टीम देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): देश में बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर तरीके से स्थापित एक संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने एक सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ की भविष्यवाणी और बाढ़ की पूर्वानुमान चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय जल आयोग के कर्नाटक राज्य में 15 बाढ़ पुर्वानुमान (एफएफ) स्टेशन (1 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन 14 इनफ्लो पूर्वानुमान स्टेशन) हैं। बेलगावी जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना को चालू वर्ष 2020-2023 के लिए अद्यतन किया गया है। कर्नाटक का जल संसाधन विभाग महाराष्ट्र राज्य के निटकवर्ती बांध प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है जिसमें ऊपरी कृष्णा बेसिन का प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। इनफ्लो और आउटफ्लो को रियल टाइम में साझा किया जाता है और बांध से निर्गमन, निचले तटवर्ती क्षेत्रों को उचित सूचना के साथ नियम वक्र के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार और केंद्रीय जल आयोग सभी हितधारियों के लिए इनफ्लो और स्तरीय पूर्वानुमान की जानकारी को साझा करना सुनिश्चित करते हैं।

बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख): कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी स्कीमें संबधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गम्भीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य किफायती लागत से बाढ़ क्षति से पर्याप्त सुरक्षा संबंधी ढांचागत तथा गैर-ढांचागत उपायों को मिश्रित रूप से अपनाना है।

बाढ़ प्रबंधन के ढांचागत उपायों को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए, जिन्हें 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए ''बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम'' (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया तथा जिसे बाद में सितंबर, 2022 तक सीमित परिव्यय के साथ आगे बढ़ाया गया, राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु XI एवं XII बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अभी तक इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों को 6686.79 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

गैर-ढांचागत उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान तथा अग्रिम बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। इस समय, सीडब्ल्यूसी 332 पूर्वानुमान केंद्रों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है (199 नदी स्तर पूर्वानुमान केंद्र एवं 133 बांध/बैराज इन्फ्लो पूर्वानुमान केंद्र)। ये केंद्र 23 राज्यों एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 20 प्रमुख नदी बेसिनों को कवर करते हैं। लोगों को निकालने की योजना तथा अन्य सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को अधिक लीड समय देने के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने चिन्हित बाढ़ पूर्वानुमान और इन्फ्लो पूर्वानुमान केंद्रों पर 5 दिन की अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान एडवाइजरी के लिए बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है।

पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों तथा नदी प्रबंधन कार्यकलापों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु, नीति आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अधिकारी, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों के प्रधान सचिव इस समिति के सदस्यों के रूप में शामिल थे। समिति की अंतिम रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जनवरी, 2021 के दौरान जारी की गई थी।

उपर्युक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

- एफएमबीएपी स्कीम 2021-26 की अवधि के लिए जारी रखी जाएगी, अर्थात 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए नयी परियोजनाओं को शामिल करने का प्रावधान है। स्कीमों का चयन नीति आयोग और राज्य सरकार के साथ परामर्श के साथ किया जाएगा।

- जल मौसम डाटा के संग्रहण में, बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में और पूर्वानुमान के प्रसार में आधुनिकीकरण के लिए सतत प्रयास किए जाएं। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा डाटा के प्रयोग के लिए विशेषकर सीमा पार नदियों के लिए सरल डाटा प्रसार नीति विकसित की जाए।

- पर्याप्त समय से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉडल आधारित प्रणाली के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना।

- सभी जलाशयों के लिए रूल कर्व/लेवल को तैयार किया जाए और अद्यतन किया जाए जिसमें वर्षापात की पद्धति में परिवर्तन और जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगीकरण में तेजी से वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में मांग में परिवर्तन को शामिल किया जाए। ऐसे बड़े जलाशयों का रूल कर्व, फ्लड कुशन इनबिल्ट नहीं होता उनकी समीक्षा की जानी अपेक्षित है ताकि बाढ़ के मौसम के एक बड़े हिस्से में कतिपय गतिशील फ्लड कुशन रखा जा सके।

- बाढ़ों का दीर्घावधि ढांचागत समाधान बड़े स्टोरेज जलाशयों के निर्माण में है जो उपयुक्त जलाशय प्रचालन अनुसूची अपनाते हुए की अधिकता बाढ़ को कम करता है।

- बाढ़ नियंत्रण का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक डिटेंशन बेसिनों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए और बाढ़ के एक उपाय के रूप में इन बेसिनों की प्राकृतिक स्थिति बहाल की जाए।

- बाढ़ के पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियाजनाओं को समयबद्ध रूप से शुरू किया जाए।

- राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा आद्रभूमि/प्राकृतिक डिप्रेशन को निषिद्ध किया जाए और बाढ़ कम करने हेतु उनके द्वारा एक कार्यवाही योजना तैयार की जाए।

नीति आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों पर 2021-26 की अवधि हेतु एफएमबीएपी नीतियां बनाते समय तदनुसार विचार किया गया है।

(ग): त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए, केंद्र सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति में मानव जीवन की क्षति से बचने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की 5 टीमों को पहले ही तैनात कर दिया है और यदि आवश्यक हो, आपदा की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ की और टीमों को तैनात किया जा सकता है।

******